

प्रश्न सं. [क. 1122]

1122
अतः प्राप्ति नं. 327/2025 परीक्षित 11/8/25

30

Gyandeepinfo.in

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,

प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2005

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभागप्रमुख,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :— बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

संदर्भ :— सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ ए 10-18/88/49/एक, दिनांक 2-12-88 ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-1994 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजाची आदेश जारी किये जाते हैं :—

- (एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैन्ल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी मंगाना चाहिए.
- (दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक को प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी बराबरी में संबंधित विभाग को उपलब्ध करे.
- (तीन) उक्त पैन्ल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरान्त चयनित लोक सेवक को सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए.
- (चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात् एवं पैन्ल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए. आदेश में यह स्पष्ट दीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें. पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाए.
- (पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी. परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी.

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-94 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी. जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाए अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे.

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जावे.
4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.
5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिए भी लागू होगी.

हस्ता./-

(अकीला इशमत)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

504
Revenue